"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 419] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर 2017 — भाद्रपद 31, शक 1939

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-12/2011/19/विविध. — छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचति करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ. ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्यदिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कार्यपालन अभियंता (भ/स) लो. नि. वि. संभाग	यूटिलिटि सर्विसेस के लिए राज्य की सड़कों के राईट आफवे उपयोग की अनुमति	30	अनुविभागीय अधिकारी (भ/स) लो. नि. वि. अनुविभाग	कार्यपालन अभियंता (भ/स) लो. नि. वि. संभाग	प्रमुख अभियंता
2.	महाप्रबंध, छ. ग. सडक विकास निगम लिमि. रायपुर	यूटिलिटि सर्विसेस के लिए सी. जी. आर. डी. सी. की सड़कों के राईट आफ वे उपयोग की अनुमति	30	प्रोजेक्ट मैनेजर, छ. ग. सड़क विकास निगम लिमि. रायपुर	महाप्रबंध, छ. ग. सड़क विकास निगम लिमि. रायपुर	प्रबंध संचालक छ. ग. सड़क विकास निगम लिमि. रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग लो. नि. वि. संभाग	यूटिलिटि सर्विसेस के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों के राईट आफवे उपयोग की अनुमति	30	अनुविभागीय अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग लो. नि. वि. अनुविभाग	कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग लो. नि. वि. संभाग	प्रमुख अभियंता

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.